

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

जनपद कानपुर देहात में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा रूरा-झींझक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर कि०मी० संख्या 01 में (चेनेज सं० 0.445-0.481 के मध्य) की बाँयीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि **0.2468 हे०** के स्थान पर प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी अवनत वनभूमि अर्थात् **0.4936 हे०** पर 1000 पौधे प्रति हे० की दर से **कुल 494 पौधों** का अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु **0.4936 हे०** अवनत वनभूमि का कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत भोगनीपुर रेन्ज में दिबैर वन ब्लॉक का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, शीशम आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक जी-152/15-1 (सीलिंग दर) दिनांक 30.01.2023 द्वारा जारी सीलिंग दर के अनुसार तथा वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष से द्वादश वर्ष तक) की आवश्यक धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 999/2-37-2 (सीलिंग दर), दिनांक 17.02.2021 से जारी सीलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार प्रस्तुत है-

भूमि का प्रकार - बीहड़

प्रति हे० पौध - 1000

पौधों की संख्या - 494

श्रम दर - ₹० 201.00 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा (हे० में)	दर (₹० में) श्रम दर ₹० 201.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुसार दर (₹० में)	कुल धनराशि (₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे०	0.4936	45100.00	0	22261.36
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे०	0.4936	25900.00	0	12784.24
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	16100.00	17710.00	8741.66
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	15729.00	18875.00	9316.70
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	16537.00	21498.00	10611.41
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	6611.00	9255.00	4568.27
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	8509.00	12764.00	6300.31
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	5993.00	9589.00	4733.13
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	5993.00	10188.00	5028.80
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2534.00	1250.78
11	एकादश वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2675.00	1320.38
12	द्वादश वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.4936	1408.00	2816.00	1389.98
योग							88307.02
(₹० अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र) अथवा							88307.00

(ए०के० द्विवेदी)

प्रभारी वन अधिकारी

कानपुर देहात वन प्रभाग

कानपुर देहात

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kampur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक जी-152/15-1(सीलिंग दर),दिनांक,लखनऊ, जनवरी 30, 2023.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-जी-93/15-1(सीलिंग दर), दिनांक 30-09-2020 द्वारा सामान्य, बीहड़ तथा पठारी भूमि पर प्रति हे० 1100 पौध तथा ऊसर भूमि पर प्रति हे० 2000 पौध का वानिकी कार्यों से सम्बन्धित सीलिंग दर निर्गत किया गया है।

वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण के लिये वनावरण एवं हरीतिमा को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता तथा अधिक से अधिक बायोमास, जैवविविधता संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिये ज्यादा से ज्यादा कार्बन अवशोषण हेतु वनावरण/वृक्षारोपण में त्वरित वृद्धि कर अल्प समय में वन की स्थापना के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित माडल तथा सीलिंग दर पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयी :-

- (अ) सामान्य भूमि पर 2.5 X 2.5 मी० की स्पेसिंग पर प्रति हे० 1600 पौधों का रोपण।
(ब) ऊसर क्षेत्र में 2 X 2मी०की स्पेसिंग पर प्रति हे० 2500 पौधों का रोपण।
(स) बीहड़ तथा पठारी भूमि पर 1600 पौधों का रोपण (400 गड़्डों पर पौध रोपण व 400 बोना नाली पर बीज बुआन द्वारा 1200 पौधों की स्थापना)।

समिति द्वारा श्रमिकों की मजदूरी रु० 201/- प्रति मानव दिवस के आधार पर वानिकी कार्यों के सीलिंग दर (संलग्न माडल के अनुसार) को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित सीलिंग दरें निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	वृक्षारोपण का प्रकार	प्रति हे० पौध सं०	चरणवार धनराशि का विवरण (धनराशि ₹ में)				योग
			प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामान्य भूमि	1600	38200.00	35900.00	21100.00	7700.00	102900.00
2	बीहड़ भूमि	1600	45100.00	25900.00	19100.00	7400.00	97500.00
3	पठारी भूमि	1600	47800.00	23600.00	18700.00	7400.00	97500.00
4	ऊसर भूमि	2500	68500.00	61500.00	23600.00	6000.00	159600.00

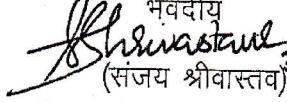
- 1-रोपण में क्षेत्र विशेष के कृषि-जलवायु के अनुरूप उपयुक्त प्रजातियों का चयन करते हुये स्वस्थ पौधों का ही रोपण किया जाय तथा रोपण के समय पौधों की ऊंचाई मानक के अनुरूप रखी जाये।
- 2-वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सामान्य, ऊसर व बीहड़ भूमि के प्रथम चरण में सुरक्षा खाई तथा पठारी भूमि में पत्थरवाड़ी का कार्य सम्मिलित है।
- 3-ऊसर भूमि में वृक्षारोपण की दरों में प्रथम चरण में बोरिंग कार्य (10 हे० पर 1 बोरिंग) व सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप कय एवं जिप्सम तथा द्वितीय चरण में गोबर की खाद व बालू सम्मिलित है।
- 4-बीहड़ भूमि की दरों में भूमि संरक्षण का कार्य प्रथम चरण में सम्मिलित है।
- 5-तृतीय चरण में 10 प्रतिशत वीटिंग अप का कार्य सम्मिलित है।
- 6-सीलिंग दरों में पौध उगान व अनुरक्षण का व्यय सम्मिलित है।
- 7-वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों के निर्धारित अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात

- 8-किसी विशेष योजना में प्रतिबन्ध के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में यान्त्रिकीय विधि से कार्य इन्हीं सीलिंग दरों में कराया जा सकता है।
 9-उक्त सीलिंग दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
 10-भूमिवार वृक्षारोपण के प्रति हेक्टेयर व्यय का माडल संलग्न है।
 11-उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।


 भवदीय
 (संजय श्रीवास्तव) 30/1
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 योजना एवं कृषि वानिकी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 30/1/23

संख्या- जी- 152 /15-1,(सीलिंग दर), दिनांकित।

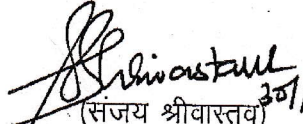
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, अनुसंधान व प्रशिक्षण, मूल्यांकन और कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश।
- 4-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव सहित), उत्तर प्रदेश।
- 6-मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, क्षतिपूर्ति, वनीकरण निधि एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा), उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 9-गार्ड बुक।


 (संजय श्रीवास्तव) 30/1
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 योजना एवं कृषि वानिकी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 30/1/23

संख्या- जी- 152 /15-1,(सीलिंग दर), दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (संजय श्रीवास्तव) 30/1
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 योजना एवं कृषि वानिकी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 30/1/23

प्रतिष्ठित सति



प्रभागीय वनाधिकारी
 कानपुर-देहात वन प्रभाग
 कानपुर-देहात


 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
 प्रमुख, पूर्वधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
 कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनको, कानपुर
 Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

बीहड़ क्षेत्रों में वृक्षारोपण की प्रति हेक्टेयर सीलिंग दर
(प्रति हे० 1600 पौध) मजदूरी रु० 201/प्रतिदिन (2.5x2.5)मी० (स्पेसिंग)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			धनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	सर्वेक्षण सीमांकन कार्य	हे०	1	0.00	52.24	52.24	0.00	52.24	52.24
2	क्षेत्र की सफाई, (लेन्टाना, आइपोनिया, झाड़ी का कटान आदि सहित)		1	0.00	1025.03	1025.03	0.00	1025.03	1025.03
3	पक्कि बंधन/निशान देही कार्य						0.00	0.00	
	क-गड्ढे	प्रति	400	0.02	0.33	0.35	8.00	133.24	141.24
	ख-बुआई नाली/रिज	प्रति	400	0.06	0.92	0.98	24.00	367.55	391.55
	ग-सुरक्षा खाई	मी०	150	0.02	0.47	0.49	3.00	70.64	73.64
4	गड्ढा खुदान कार्य 0.45X0.45X0.45 मी०	प्रति	400	0.00	8.04	8.04	0.00	3216.08	3216.08
5	सुरक्षा खाई खुदान कार्य (ऊपरी ऊँचाई 1.20 मी०Xआधर 0.90मी०X ऊँचाई 1.00 मी०)	मी०	150	0.00	82.38	82.38	0.00	12356.64	12356.64
6	बुआई नाली का खुदान कार्य 3.00X0.60X0.45 मी०	मी०	400	0.00	45.01	45.01	0.00	18005.45	18005.45
7	बन्धों का निर्माण एवं प्लकिंग सम्बन्धी कार्य	प्रति घनमी०	100	0.00	50.25	50.25	0.00	5025.13	5025.13
8	निरीक्षण मार्ग का निर्माण						0.00	0.00	
	क-3 मीटर चौड़ा मार्ग	प्रति मीटर	50	0.00	15.68	15.68	0.00	783.92	783.92
	ख-1 मीटर चौड़ा मार्ग	प्रति मीटर	100	0.00	3.50	3.50	0.00	350.32	350.32
9	सुरक्षा खाई पर बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य		1	181.91	0.00	181.91	181.91	0.00	181.91
10	बुआई नाली पर बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य		1	970.20	0.00	970.20	970.20	0.00	970.20
11	पौध उगान पर व्यय 6 प्रतिशत अतिरिक्त (2 प्रतिशत क्षति पौधशाला में तथा 3 प्रतिशत क्षति बुलान में)						0.00	0.00	
	क-थैली पौध (80 प्रतिशत)		336	1.00	3.04	4.04	336.00	1022.71	1358.71
	ख-पिण्डी पौध 20 प्रतिशत		84	1.08	5.02	6.10	90.72	421.63	512.35
12	अन्य व्यय (औजारों का क्रय) 2 प्रतिशत		1				400.00	260.00	660.00
			योग	1154.29	1291.92	2446.212	2013.83	43090.58	45104.41
			अथवा						45100

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर भाण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			घनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)									
1	गड्डों का भरण कार्य		400	0	0.80402	0.80402	0	321.608	321.608
2	सुरक्षा खाई पर दो लाइनों में बीज बुआन कार्य	प्रति मीटर	150	0	4.99641	4.99641	0	749.4615	749.4615
3	बुआई नाली/रिजों पर बीज बुआन	प्रति	400	0	8.0402	8.0402	0	3216.08	3216.08
4	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	प्रति	400	0.24	0.14932	0.389318	96	59.7272	155.7272
5	पौध उगान पर व्यय 5 प्रतिशत अतिरिक्त (2 प्रतिशत क्षति पौधशाला में तथा 3 प्रतिशत क्षति ढुलान में)					0	0	0	
	क-थैली पौध	प्रति	336	0.1	1.43575	1.53575	33.6	482.412	516.012
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	84	0.16	3.76741	3.927408	13.44	316.4623	329.9023
6	पौधशाला में पिण्डी खुदान व बंधवाई मय घास का मूल्य सहित	प्रति	84	0.2	4.50251	4.702512	16.8	378.211	395.011
7	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त औसत 30 किमी०)								
	क-थैली पौध	प्रति	330	0.94	0.14932	1.089318	310.2	49.27494	359.4749
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	82	1.57	0.14932	1.719318	128.74	12.24408	140.9841
8	पौधों का स्थानीय ढुलान								
	क-थैली पौध	प्रति	320	0	0.34458	0.34458	0	110.2656	110.2656
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	80	0	0.37904	0.379038	0	30.32304	30.32304
9	पौधारोपण सिंचाई व थाला बनाना								
	क-थैली पौध	प्रति	320	0	4.81263	4.812634	0	1540.043	1540.043
	ख-पिण्डी पौध	प्रति	80	0	5.62814	5.62814	0	450.2512	450.2512
10	पौधों की निराई-गुड़ाई 2 बार (400X2)	प्रति	800	0	1.28643	1.286432	0	1029.146	1029.146
11	पौधों की सिंचाई 2 बार	प्रति	800	0.34	0.80402	1.14402	272	643.216	915.216
12	बुआई नाली (रिज) की निराई-गुड़ाई (400X2)	प्रति	800	0	8.0402	8.0402	0	6432.16	6432.16
13	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में एक बार पौधों की लाइन में एक मी० घास कटाई	हे०	1	0	852.169	852.1693	0	852.1693	852.1693
14	बन्धों पर मूज घास/अगिब/कटिंग लगाना आदि	हे०	1	0	201	201	0	201	201
15	बन्धों की मरम्मत (8 प्रतिशत)	घन मी०	8	0	50.4235	50.42354	0	403.3883	403.3883
16	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे०)	प्रति	34.25	0	201	201	0	6884.25	6884.25
17	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	1/10	2910.6	0	2910.6	291.6	0	291.06
18	रासायनिक खाद का छिड़काव मूल्य सहित	प्रति	400	0.19	0.12635	0.316346	76	50.5384	126.5384
19	अन्य व्यय 2 प्रतिशत	हे०	1			0	290	195	485
			योग	2914.34	1350.01	4264.348	1528.38	24407.23	25935.07
			अथवा						25900

आशुतोष कुमार/श्रीवास्तव/Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय)/Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Ltd.
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रति हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर			धनराशि (रु० में)		
				सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री	श्रमांश	योग
तृतीय चरण (अनुसूचक कार्य प्रथम वर्ष)									
1	पौधों की निराई-गुड़ाई (2 बार) 400X2	प्रति	800	0.00	1.29	1.29	0.00	1029.15	1029.15
2	बुआई नाली (रिजों की निराई गुड़ाई 2 बार 400X2	प्रति नाली	800	0.00	8.04	8.04	0.00	6432.16	6432.16
3	सिंचाई दो बार	प्रति पौध	800	0.34	0.80	1.14	272.00	643.22	915.22
4	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध उगान पर व्यय 10 प्रतिशत (5 प्रति अतिरिक्त)	प्रति पौध	42	1.58	9.81	11.39	66.36	411.98	478.34
5	पौध डुलान 1 से 20 किमी०	प्रति पौध	42	1.57	0.15	1.72	65.94	6.27	72.21
6	पौध का स्थानीय डुलान	प्रति पौध	40	0.00	0.38	0.38	0.00	15.16	15.16
7	पौध रोपण, सिंचाई व थाला बनायी	प्रति पौध	40	0.00	5.63	5.63	0.00	225.13	225.13
8	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)		45.625	0.00	201.00	201.00	0.00	9170.63	9170.63
9	बन्धों की मरम्मत (5 प्रतिशत)	प्रति घनमी०	5.00	0.00	50.42	50.42	0.00	252.12	252.12
10	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	प्रति हे०	400	0.24	0.15	0.39	96.00	59.73	155.73
11	अन्य व्यय (झोपड़ी की मरम्मत) प्रतिशत						170.00	170.00	340.00
			योग	3.73	277.67	281.40	670.30	18415.53	19085.83
			अथवा						19100.00

चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुसूचक कार्य-द्वितीय वर्ष)									
1	पौधों की सिंचाई 1 बार	प्रति पौध	400	0.34	0.80	1.14	136.00	321.61	457.61
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (एक बार) 400 X 1	प्रति पौध	400	0.00	1.29	1.29	0.00	514.57	514.57
3	बुआई नाली की निराई गुड़ाई (एक बार) 400X1	प्रति नाली	400	0.00	8.04	8.04	0.00	3216.08	3216.08
4	वृक्षारोपण श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)	प्रति दिन	15.25	0.00	201.00	201.00	0.00	3065.25	3065.25
5	अन्य व्यय (बन्धों की मरम्मत) 2 प्रतिशत						150.00		150.00
			योग	0.00	211.13	210.33	286.00	7117.51	7403.51
			अथवा						7400.00

नोट तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण पर उपरोक्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा।

बीहड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण पर कुल व्यय (सीलिंग) प्रति हेक्टेयर	
प्रथम चरण	45100.00
द्वितीय चरण	25900.00
तृतीय चरण	19100.00
चतुर्थ चरण	7400.00
कुल व्यय	97500.00

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / CH: Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रतीदस्ताक्षरी
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ
पत्रांक- ५५५ /2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक, लखनऊ फरवरी: 17, 2021

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दि० 22.01.2013 में निर्देश दिये गये हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण में वृक्षों के रख-रखाव का समय 5 वर्ष के स्थान पर 7 से 10 वर्ष तक वृक्षारोपण में लगाये गये वृक्षों का रख-रखाव किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 द्वारा प्रचालित की गयी है। भारत सरकार के पत्रांक-1/वन/आर०ओ०सी०/95-2011/भाग-5/1225 दिनांक 22.01.2013 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 1190/11-सी० सामान्य दिनांक 28.01.2013 तथा पत्रांक 1819/1सी-क्षतिपूर्क वनीकरण दिनांक 01.04.2015 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में उ०प्र० कैम्पा कार्यकारिणी समिति की 19वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 एवं 21वीं बैठक दिनांक 28.08.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों का रख-रखाव सात से दस वर्षों (वृक्षारोपण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) तक किया जाना है। विभिन्न वृक्षारोपणों मॉडल हेतु मजदूरी दर रु० 201/- प्रति दिन के आधार पर वर्षवार अनुरक्षण की सीलिंग दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

(दर प्रति हे०) (धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	विवरण	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	पंचम वर्ष अनुरक्षण	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	नवम वर्ष अनुरक्षण
1	सामान्य भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	17400	15756	16564	6632	8530	5993	5993	1408	1408
2	ऊसर भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	20800	20235	21043	6737	10187	5993	5993	1408	1408
3	बीहड़ भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	16100	15729	16537	6611	8509	5993	5993	1408	1408
4	पठारी भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपण	15800	15853	16661	6735	8633	5993	5993	1408	1408
5	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (सिंचाई हेतु बोरिंग का प्राविधान) (प्रति हे० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य	28600	24519	15350	6428	6428	5785			
	ब- ऊसर	28600	24680	15511	6589	6589	5785			
	स- पठारी	28600	24599	15431	6509	6509	5785			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
	ब- ऊसर	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
	स- पठारी	28600	24513	15344	6422	6422	5785			
6	सामान्य, ऊसर एवं पठारी क्षेत्रों में ब्लाक वृक्षारोपण में 8 से 12 फुट पौध के रोपण का आर०सी०सी० खम्बे व कांटेदार तार से घेरबाड़/सुरक्षा खाई/पत्थरबाड़ी आदि सहित (ड्रिक्टर द्वारा सिंचाई) (प्रति हे० 625 पौध)									
	1) सुरक्षा खाई/पत्थरी बाड़ी									
	अ- सामान्य	44600	35369	19444	6428	6428	5785			
	ब- ऊसर	44600	35530	19605	6589	6589	5785			
	स- पठारी	44600	35449	19524	6509	6509	5785			
	2) कांटेदार तार से घेरबाड़ आरसीसी पिलर सहित									
	अ- सामान्य	44800	35363	19438	6422	6422	5785			
	ब- ऊसर	44800	35363	19438	6422	6422	5785			
	स- पठारी	44800	35363	19438	6422	6422	5785			

क्र० सं०	विवरण	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	पंचम वर्ष अनुरक्षण	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	नवम वर्ष अनुरक्षण
7	आर०सी०सी० गार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति आर०सी०सी० गार्ड)	202.36	135.37	53.04	14.17	14.17	14.17			
8	ब्रिकगार्ड में किए जा रहे वृक्षारोपण (प्रति ब्रिकगार्ड)	412.00	335.04	53.04	14.17	14.17	14.17			
9	मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़-आर० सी०सी० खम्भे व कांटेदार तार) प्रति हे० 625 पौध	45500	35786	19881	6885	6885	5785			
10	बहुपंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़) प्रति हे० 1100 पौध	46880	37011	19623	8991	7093	5993	5993		
11	बहुपंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़) प्रति हे० 1266 पौध	47522	37439	19837	9277	7093	5993	5993		
12	खोला भूमि (1100 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	17400	15756	16564	6632	8530	5993	5993	1408	1408
13	खादर भूमि (1600 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	21130	18186	18994	6632	9392	5993	5993	1408	1408
14	खादर भूमि (2000 पौधे) में किए जा रहे वृक्षारोपण	24123	20130	20938	6632	10082	5993	5993	1408	1408
15	खुले (Open) क्षेत्र में वृक्षारोपण अनुरक्षण हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत 4 हे० पर एक श्रमिक मानते हुए अनुरक्षण का आंकलन (प्रति पौध)	24.43	22.66	23.39	10.20	11.92	9.62	9.62	1.28	1.28

सीलिंग दरों के अन्तर्गत वर्षवार मदवार प्रस्तावित कार्यमदों का विवरण संलग्नक-1 से 15 में दिये गये विवरणानुसार ही रहेगा। वृक्षारोपणों के अनुरक्षण कार्य निम्न बिन्दुओं/प्रतिबन्धों का संज्ञान लेकर किया जायेगा:-

1. प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार गणना वर्ष में दो बार जून एवं दिसम्बर माह की अन्तिम तिथि के आधार पर अनिवार्य रूप से करायी जायेगी एवं गणना पंजिका का रख-रखाव विधिवत किया जायेगा।
2. समस्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा एवं वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (Wage) भी वृक्षारोपण की सफलता से लिंक (Link) रहेगा।
3. अन्य व्यय के अन्तर्गत अग्निरोधक उपाय, वृक्षारोपण के फोटोग्राफ, जी०पी०एस० पॉलीगन फाइल बनाना, आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण बोर्ड की पुनः पेंटिंग, बीहड़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पन्ध्रे की मरम्मत

E:\SOR\SOR Office Order Lt...Docx

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव / Ashutosh Kumar Srivastava
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर माल क्षेत्र कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Office Panki, Kanpur-208 020

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

- इत्यादि व्यय सम्मिलित होंगे। अग्नि निरोधक उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र की घास कटाई, झुके पौधों पर सपोटिंग/स्टैकिंग सम्बन्धी कार्यों को अन्य कार्यों से प्राथमिकता दी जायेगी।
- वनीकरण की सुरक्षा हेतु वह सभी उपाय अपनाये जायेंगे एवं सुरक्षा श्रमिक से वह सभी कार्य कराये जायेंगे जो वनीकरण की सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं।
 - चतुर्थ वर्ष से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई, इत्यादि कार्य भी किये जायेंगे।
 - वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छंटाई (अधिकतम 30 प्रतिशत) की जायेगी।
 - सीलिंग दरों के निर्धारण का मुख्य आधार अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० द्वारा निर्धारित दरें हैं।
 - सीलिंग दरों के निर्धारण में सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थर बाड़ी मरम्मत, इत्यादि की सीमा कुल कार्य मात्रा की 5 प्रतिशत ली गयी है। तारबाड़ मरम्मत लमसम रु० 1100.00 प्रति हेक्टेयर पर आंकलित है।
 - वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन संरक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाये।
 - प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत बीटिंग-अप का कार्य भी सम्मिलित है।
 - उक्त सीलिंग दर तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक 999 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, अनुसंधान व प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं कार्ययोजना, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० लखनऊ।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उ०प्र० लखनऊ।
- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- समस्त जौनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव, अनुसंधान सहित), उत्तर प्रदेश।
- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक 999 /2-37-2(सीलिंग दर), दिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

बीहड़ भूमि में किए जा रहे वृक्षारोपणों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

धनराशि ₹0 में (प्रति हे०)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आवृत्ति / कार्यमद	श्रमदर 201/- प्रति मानव दिवस
1	2	3	4
	वृक्षारोपण वर्ष	ASW	37700
	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अनुसार अनुमन्य सभी मदें	Plt.	20500
	योग-		58200
	प्रथम वर्ष अनुरक्षण		
	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अनुसार अनुमन्य सभी मदें		16100
	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	516
2	बुआई नाली की निराई गुड़ाई	दो बार	4824
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	9171
5	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		15729
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण		
1	पौधों की निराई गुड़ाई	दो बार	516
2	बुआई नाली की निराई गुड़ाई	दो बार	4824
3	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
4	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
5	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	9171
6	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		16537
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
4	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		6611
	पंचम वर्ष अनुरक्षण		
1	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि		618
2	वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग/छटाई (वृत्त दरों पर)		1898
3	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
4	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
5	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		8509
	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		5993
	सप्तम वर्ष अनुरक्षण		
1	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हैक्टेयर पर एक)	सम्पूर्ण वर्ष	4585
2	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
3	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		5993
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (वृत्त की दरों पर)		808
2	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		1408
	नवम वर्ष अनुरक्षण		
1	प्रजातिवार, ऊंचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरों पर)		808
2	अन्य व्यय	₹0 600	600
	योग-		1408